(69) (176)

न्यायालय श्रीमान् सदस्य महोदय म0प्र0राजस्व मंण्डल ग्वालियर कैम्प रीवा

जिला रीवाम0प्र0

Rs 20/-

R. 2391-III/14

श्रीमती रमरजिया पत्नी रामाधार नाई उम्र 57 साल, निवासी ग्राम शिवगढ़,तहसील हनुमना,जिला रीवा म0प्र0

———— आवेदिका

बनाम

1\. श्रीमती प्रेमवती ब्रा0पत्नी श्री झब्बू लाल ब्रा0 निवासी साकिम बरौही,थाना तहसील हनुमना,जिला रीवाम0प्र0

2\. शासन म0प्र0 ————अनावेदकगण

निगरानी बिरूद्ध आदेश तहसीलदार तहसील हनुमना वृत्त खटखरी,जिलारीवा म0प्र0 के रा0प्र0क्र015अ3/13-14 मे पारित आदेश दिनांक 5.3.2014 के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0भू0रा0सं0के अधीन निगरानी

महोदय,

निगरानी के संक्षिप्त तथ्य:-

प्रकरण का संक्षिप्त इस प्रकार है कि आराजी नं. 214/1क रकवा36.587हे. का अंश रकवा 0.809हे. यानी 2.00ए. स्थित मौजा शिवगढ,ज0नं028,रा0नि0मं0खटखरी,तहसील हनुमना जिलारीवा म0प्र0 मे स्थित भूमि हैउक्त भूमि पंजीकृत विक्रय विलेख दिनांक 20.099 को आवेदिका के द्वारा विक्रेता रामाधार ब्राम्हण से क्रय कर काबिज दखील चली आ रहीहै। उक्तभूमि का नामा0भी आवेदिका के नाम होगया ,आवेदिका का रहायसी मकान भी बना है तथा वर्तमान नं. 214/5 ,214/10, है लेकिन आराजी नं. 214/5 मे अनावेदक क्रमांक 1 के द्वारा गलत ढंगसे नक्शा तर्मीम आवेदिका को सूचना दिये वगैर करवा लियाहै जिससे पीड़ित होकर के उक्त निगरानी प्रस्तुत की जारही है।

(Handwritten margin notes and stamps: ... आज दिनांक 9.7.14 के ... प्रस्तुत किया गया। — रीडर 9.7.14 सर्किट कोर्ट रीवा — क्रमांक 2388 ... आज दिनांक 25.7.14 को प्राप्त ... राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर — signatures: रमरजिया नाई; 9.7.14)

(69)

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ–अ

प्रकरण क्रमांक निग0 / 2391–III / 2014 जिला–रीवा

श्रीमती रमरजिया नाई / श्रीमती प्रेमवती ब्रा0

(1)	(2)	(3)
23.04.19	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री अशोक तिवारी उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी तहसीलदार, तहसील हनुमना के प्रकरण क्रमांक 15 / अ–3 / 2013–14 में पारित आदेश दिनांक 05.03.2014 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू–राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत तहसीलदार द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 11.06.19 को कलेक्टर, जिला रीवा के समक्ष उपस्थित हो। (बी.एम.शर्मा), सदस्य	